हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति–।।)

संख्याः पर(एपी–बी)बी(2)–1/2017 तारीख शिमला–171 002, 6 जून, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर में दफतरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर, दफतरी, वर्ग–IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

आदेश द्वारा,

वी सी फारका
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्याः पर(एपी–बी)बी(2)–1/2017 तारीख शिमला–171 002, 6 जून, 2017
प्रतिलिपि प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (विधि/वित्त/कार्मिक–।।।) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.
2. सचिव, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर– 177 001 को 05 अतिरिक्त प्रतियों सहित ।
3. अति0 विधि परामर्शी एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–171002 ।
4. 30 अतिरिक्त प्रतियां ।

(ओम प्रकाश भंडारी)
अवर सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष 0177 – 2628499

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर में दफतरी, वर्ग– IV (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम ।

1	पद का नामः	दफतरी
2	पदों की संख्याः	1 (एक)
3	वर्गीकरणः	वर्ग– IV (अराजपत्रित)
4	वेतनमानः	पै बैण्ड ₹ 4900-10680 + ₹ 1650 ग्रेड पे
5	चयन पद अथवा अचयन पद :	अचयन ।
6	सीधी भर्ती के लिए आयुः	लागू नही ।
7	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	लागू नहीं
8	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नति की दशा में लागू होगी :	आयुः लागू नही । शैक्षिक अहर्ता : लागू नही
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	लागू नही ।

10	भर्ती की पद्धति–भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, सैकेण्डमैन्ट, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।
11	प्रोन्नति/ सैकेण्डमैन्ट/ स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/ सैकेण्डमैन्ट / स्थानान्तरण किया जाएगा	चपड़ासियों/चौकीदारों/स्वीपरों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका तीन वर्ष का नियमित सेवाकाल, या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके तीन वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो । **टिप्पणी:** प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए पात्र कर्मचारियों की अपने–अपने ग्रेड में उनकी काडर–अनुसार वरिष्ठता को छोडे बिना, सेवाकाल के आधार पर एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथा विहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिन में कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद /काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझें जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखें जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरणः— अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिर्जवेशन ऑफ वेकैन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टेक्नीकल सर्विसिज)रूल्ज 1972, के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्ससर्विसमैन (रिजर्वशन ऑफ वेकैन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टेक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरचना:	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

J.Bhandari

13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा:	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा	लागू नही ।
15	सीधी भर्ती के लिए चयन	लागू नही ।
16	आरक्षण	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/ अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।
17	विभागीय परीक्षा	लागू नही ।
18	शिथिल करने की शक्ति	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके, आदेश द्वारा और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

*****

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Per (AP.B)B(2)-1/2017 dated 06-06-2017 as required under clause (3) of article 348 of Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (Apptt.II)

No. Per (AP.B)B (2)-1/2017 Dated Shimla-171 002, the 6th June, 2017.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Daftri, Class-IV (Non-Gazetted) in the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, as per Annexure "A" attached to this notification, namely:-

1. Short title and commencement	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur, Daftri, Class-IV (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2017.
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

By Order,

V.C.Pharka
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

Endst No. Per(AP.B)B(2)-1/2017 Dated Shimla-171 002, the 6th June, 2017.

Copy forwarded to:

1. The ACS/Principal Secretary (Finance/Personnel/Law) to the Govt. of Himachal Pradesh,Shimla-2.
2. The Secretary, Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur - 177001 with 05 spare copies.
3. Addl. LR-cum-Additional Secretary (Law) to the Government of Himachal Pradesh.
6. Spare copies – 30

(O.P.Bhandari)
Under Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Tel No. 0177-2628499

Annexure "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF DAFTRI, CLASS-IV (NON-GAZETTED) IN THE HIMACHAL PRADESH STAFF SELECTION COMMISSION, HAMIRPUR.

1.	Name of post:	Daftri
2.	Number of posts:	01 (one)
3.	Classification:	Class-IV (Non-Gazetted)
4.	Scale of pay:	Pay Band ₹ 4900-10680 + ₹ 1650 Grade Pay
5.	Whether "Selection post" or non-selection post:	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment:	Not Applicable
7.	Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s)	Not Applicable
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotee(s):	**Age** - Not Applicable **Educational Qualification** : Not Applicable
9.	Period of probation, if any:	Not applicable.
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion, secondment, transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:	100 % by promotion.

11.	In case of recruitment by promotion/ secondment/ transfer/ grade(s) from which promotion / secondment / transfer is to be made:	By promotion from amongst the Peons/ Chowkidars / Sweepers possessing 03 years' regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade. Note : For the purpose of promotion a combined seniority list of the eligible officials shall be prepared based on length of service in the respective grade without disturbing their cadre wise seniority (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment / promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R & P Rules : (i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service / appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration : Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years

or that prescribed in the R & P Rules for the post, whichever is less :

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

EXPLANATION : The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be Ex-servicemen recruited under the provisions of rule-3 of Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment / promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R & P Rules :

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the HP Public Service Commission (HPPSC) is to be consulted in making recruitment:	As required under the law.
14.	Essential requirement for direct recruitment:	Not Applicable
15.	Selection for appointment to post by direct recruitment:	Not Applicable
16.	Reservation:	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes / Scheduled Tribes / Other Backward Classes / Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	Departmental Examination:	Not Applicable.
18.	Power to relax:	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

*****